# पंचदश

# बिहार विधान-सभा

## षोडश सत्र

## तारांकित प्रश्न

### वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\dfrac{\text{25 फाल्गुन, 1936 (श0)}}{\text{16 मार्च, 2015 (ई0)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 16

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | गृह विभाग | .. | .. | 10 |
| (2) | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | .. | .. | 01 |
| (3) | सूचना प्रावैधिकी विभाग | .. | .. | 01 |
| (4) | उद्योग विभाग | .. | .. | 02 |
| (5) | सांख्यिक वित्त विभाग | .. | .. | 01 |
| (6) | कारा विभाग | .. | .. | 01 |
| | | | कुल योग — | 16 |

स्थायी व्यवस्था करना

*54. श्री गोपालजी ठाकुर--क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा कारा के भीतर एवं परिसर में बरसात में जल जमाव होता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कारा के भीतर एवं परिसर के पानी निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*55. श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय उर्फ सुनील पाण्डेय--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत तरारी विधान-सभा क्षेत्र के जेठवार, करथ, सहियारा, छोटकी मोआप, बहादुरपुर, पनवारी, छोटी सिकरहटा, बड़की सिकरहटा, सुरमाना, धर्मदास डिहरी, बड़की खड़ाव, कोरन डिहरी टोला, एकवारी, पेहाप, पेऊर, दुलमचक ग्रामों के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में स्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

नियुक्ति करना

*56. श्री अरूण शंकर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत नेपाल-भारत सीमा पर अवस्थित लदनियाँ थाना 6 सर्किल का है, जिसकी आबादी सवा लाख लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है;

(2) क्या यह बात सही है कि थानाध्यक्ष समेत तीन पु०अ०नि० स्वीकृत पदों के विरुद्ध दो कार्यरत, ए०एस०आई० के तीन स्वीकृत पदों के विरुद्ध दो कार्यरत, सिपाही के स्वीकृत आठ पद, दो हवलदार, साक्षर सिपाही एक, वायरलेस ऑपरेटर एक स्वीकृत पद वर्षों से रिक्त है;

(3) क्या यह बात सही है कि पद रिक्त रहने से अपराध नियंत्रण में कठिनाई होती है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त थाना में सभी स्वीकृत पदों पर पुलिस एवं पदाधिकारी नियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*57. श्रीमती सुनीता सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड पंचायत के चन्दौली में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी आजतक नहीं हुआ, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा प्रदान करना

*58. श्री विक्रम कुँवर--दिनांक 24 जून, 2014 को हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित ''कम्प्यूटर पर सरकार बेनकाब'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ई० डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत चयनित जिला के लोगों को वसुधा केन्द्र के माध्यम से मात्र 35 रुपया में जाति, आवासीय एवं ओ०बी०सी० प्रमाण-पत्र बनाने में सुविधा देने का वर्ष 2008 में निर्णय लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस योजना पर अबतक 12 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाया है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आम जनता को सुविधा प्रदान करने वाले इस योजना को कबतक चालू कराने का विचार रखती है ?

---------

थाना का भवन बनाना

*59. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत पीरा थाना तथा महैया ओ०पी० सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों थाना का अपना भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

थाना भवन बनाना

*60. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत मानसी थाना एन०एच० के रिटायर्ड गोदाम में चल रहा है, जिसके जर्जर रहने के कारण बरसात के मौसम में पुलिस बल को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना का अपना भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---------

कार्रवाई करना

*61. श्री मंजीत कुमार सिंह--दिनांक 26 नवम्बर, 2014 के दैनिक समाचार-पत्र में छपे शीर्षक ''5,468 आवेदक, 166 को ही लोन'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के तहत 7,648 युवाओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य था तथा विभिन्न प्रोजेक्टों के लिये 110 करोड़ रुपये लोन देने के लिये आवंटित राशि बैंक में पड़ी हुयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न बैंकों में प्रधान मंत्री सृजन कार्यक्रम के तहत 5,468 आवेदन में मात्र 11 माह में 166 युवाओं के बीच 5 करोड़ रुपये ही वितरण किये गये हैं, जबकि आवेदन करने के 15 दिनों के अन्दर ही लोन देने का प्रावधान है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार युवाओं को लोन नहीं देने वाले बैंक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तार करना

*62. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नित्यानन्द मंडल, पिता स्व0 किशोरी मंडल, बलरामपुर, थाना-अमदाबाद, जिला-कटिहार की 17 वर्षीय पुत्री मौसमी कुमारी का अपहरण दीपक मंडल उर्फ पारो मंडल (45 वर्ष) ग्राम-लालबथानी, थाना-अमदाबाद, जिला-कटिहार ने दिनांक 17 फरवरी, 2014 को कर लिया है जो मनिहारी थाना अभियोग संख्या 43/14, दिनांक 27 फरवरी, 2014 धारा 363/366ए/34 भा0 द0 वि0 से संबंधित है;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक अपहर्ता बरामद नहीं की जा सकी है और न प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपहर्ता लड़की को बरामद करने और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

------------

छात्रवृत्ति नहीं मिलने का औचित्य

*63. श्री (मो0) आफाक आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत खजांचीहाट, मधुबनी सहित सभी मदरसों के अल्पसंख्यकों को विगत एक वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मदरसों के अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का क्या औचित्य है ?

------------

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*64. श्री पवन कुमार जायसवाल--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 जनवरी, 2015 को प्रकाशित शीर्षक ''पार्किंग में खड़ी हैं 28 लावारिस गाड़ियाँ'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना जंक्शन, करबिगहिया, राजेन्द्र नगर टर्मिनल तथा महावीर मंदिर के सटे पार्किंग में 28 लावारिस गाड़ियाँ विगत तीन वर्षों से पड़ी हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि पार्किंग में 2-3 साल से खड़े वाहनों के बारे में पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, जबकि पटना जंक्शन आतंकियों के निशाने पर है;

(3) क्या यह बात सही है कि पार्किंग संचालक ने जी0आर0पी0 स्थानीय थाने को पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के बारे में जानकारी नहीं दी है या स्थानीय थाना जान-बूझकर अनदेखी कर रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी लावारिस वाहनों को पार्किंग से हटाने, पार्किंग संचालक तथा दोषी स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

शाखा खोलना

*65. श्रीमती नीता चौधरी--क्या मंत्री, संस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखण्ड मुख्यालय अन्तर्गत एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा है, जबकि प्रखंड की आबादी लगभग 50 हजार से अधिक है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं रहने से आम लोगों को बैंक से संबंधित कार्यों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चालू करना

''क''-*66. श्री अवधेश सिंह--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत रसवंती जूस फैक्ट्री 10 वर्षों से बंद है;

(2) क्या यह बात सही है कि रसवंती जूस, सउदी अरब, ईरान आदि देशों में भेजा जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रसवंती जूस फैक्ट्री को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

अफीम की खेती को रोकना

*67. डॉ0 अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 18 जनवरी, 2015 के अंक में छपी खबर ''अफीम की अवैध खेती वाले राज्यों में बिहार भी'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जनवरी, 2015 में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि राज्य में 2012 में 61.84 एकड़ क्षेत्रफल में अफीम की खेती अवैध तरीके से की गई;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्तमान में 37 एकड़ भूमि में अवैध तरीके से अफीम की खेती हो रही है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अफीम की अवैध खेती को रोकने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

पुलिस चौकी खोलना

*68. श्री राज कुमार राय--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर विधान-सभा के बिथान थाना के लरझा घाट पर पुलिस चौकी नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि बाढ़ प्रभावित एवं अन्तरजिला सीमावर्ती क्षेत्र होने से उक्त इलाके में बराबर आपराधिक घटनायें होती रहती है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पुलिस चौकी को खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*69. श्रीमती सुनीता सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखण्ड के गिरासा ग्राम पंचायत के ग्राम-हरपुर सारी के कब्रिस्तान को घेराबन्दी हेतु वर्ष 2012-13 में प्राक्कलन बनाकर जिलाधिकारी, सीतामढ़ी के पास पड़ा हुआ है, जिसकी घेराबन्दी नहीं किया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान को नहीं घेरने का क्या औचित्य है ?

------------

पटना :
दिनांक 16 मार्च, 2015 (ई0) ।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

नोट--''क'' उद्योग विभाग से कृषि विभाग में स्थानान्तरित ।

बि0स0मु0 (एल0 ए0), 148-डी0टी0पी0--450--